न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–373/2014

बीरबल दास.....वादी

बनाम

राजेश कुशवाहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.06.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 02.08.2022 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 02.08.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद अंतिम बहस हेतु निर्धारित है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य नही हो सका है। दिनांक 05.10.2021 को न्यायालय द्वारा वादी का साक्ष्य बंद किया गया तद्पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेख साक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया तथा दिनांक 26.04.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के कारण प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद कर दिया गया। दिनांक 05.10.2021 के बाद प्रतिवादी राजेश कुशवाहा जीविकोपार्जन हेतु बाहर चला गया था। जिसके कारण कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सका। वापस आने पर पता चला कि दिनांक 26.04.2022 को प्रतिवादीगण को साक्ष्य देने का अवसर न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। प्रतिवादीगण जानबुझकर साक्ष्य देने में विलंभ नही किये है बल्कि परिस्थितिवश विलंभ हो गया है। यदि प्रतिवादीगण को साक्ष्य देने का अवसर न्यायालय द्वारा नही दिया गया तो प्रतिवादीगण न्याय पाने से वंचित रह जायेंगे। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि आदेश दिनांक 26.04.2022 को वापस लेते हुये प्रतिवादी को साक्ष्य देने की अनुमति प्रदान करें। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का दिनांक 21.10.2022 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनो दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी को इस मुकदमा में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए काफी समय दिया गया लेकिन प्रतिवादीगण जानबुझकर इस मुकदमा को लंबा खिचने के उद्देश्य से तथा वादी को परेशान करने की नियत	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–373/2014

बीरबल दास.....वादी

बनाम

राजेश कुशवाहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 16.06.2023	से अपना साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। जिसके कारण प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद किया गया। अतः प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध होना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके परंतु प्रतिवादीगण को साक्ष्य लाने हेतु पर्याप्त समय देने के बाद प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद किया गया था। फिर भी न्यायहित में प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 02.08.2022 को मो0–1000/– (एक हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 26.04.2022 के आदेश को वापस लेते हुए वाद प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक तिथि पर साक्ष्य लावें। आगामी दिनांक 01.07.2023 वास्ते प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	